Regarding social security pension in Chandigarh

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है और यह केन्द्र सरकार के अधीन है । लगभग हर केन्द्रीय बजट से चंडीगढ़ को 6500 से 6900 करोड़ रुपये आवंटित होते हैं । यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अक्टूबर, 2026 से चंडीगढ़ में सोशल सिक्योरिटी पेंशन का कोई आवंटन नहीं हुआ है । सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में अभी मंत्री जी बता रहे थे, लेकिन वहां कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है, कोई बुढ़ापा पेंशन नहीं है, कोई विधवा पेंशन नहीं है, कोई दिव्यांग पेंशन नहीं है । यह कहा जाता है कि बजट नहीं है, अगली बार पैसा आएगा तो मई में यह आवंटन किया जाएगा । चंडीगढ़ में सबसे कम सोशल सिक्योरिटी पेंशन है । केवल एक हजार रुपये है, जबकि पंजाब में 1500 रुपये है और हरियाणा में 3500 रुपये है ।

Chandigarh is also home to a large number of ex-servicemen who have served this country with great honour and valour, safeguarding our frontiers at the peril of their lives.

It is extremely unfortunate that, in the Finance Bill, 2026, under para 108 at page 88, the income tax exemption on service element plus disability has been restricted to only those servicemen who have been invalidated out of service.

This is a clear breach of Article 14 of the Constitution. भारतीय संविधान की जो धारा-14 है, उसका यह सीध-सीधा उल्लंघन है । मैं केंद्र सरकार से दो मांगें करना चाहता हूं । पहला चंडीगढ़ में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो अक्टूबर से आवंटित नहीं हुई है, उसको आवंटित किया जाए और जब फाइनेंस बिल पर इस सदन में चर्चा हो, तो वित्त मंत्री जी को आईटी एक्जेम्पशन, सविर्स एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी पर से इन्कम टैक्स एग्जेम्पशन पूरी तरह से रिस्टोर करनी चाहिए । इसी से हमारे जो सेवा कर्मी हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की सुरक्षा और हिफ़ाजत करते हैं, उनकी जो इज्ज़त और आबारू है, वह दोबारा बरकरार होगी ।

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।